राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1618/2022

संजय पांडे पुत्र स्वर्गीय श्री एच.सी. पांडे, उम्र लगभग 56 वर्ष, अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान), निवासी ए-14 महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य-प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)।
3. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, पर्यटन भवन, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री संजय पांडे, स्वयं
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	सुश्री शीतल मिर्धा, एएजी

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

<u>आदेश</u>

<u>14/03/2023</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "ट्रिब्यूनल"), जयपुर द्वारा अपील संख्या 4746/2021 में दिनांक 21.01.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है जिकके द्वारा याचिकाकर्ता की दायर अपील को खारिज करके दिनांक 29.09.2021 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश की पुष्टि की गई, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उसके कैडर के बाहर अर्थात अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पद से अतिरिक्त निदेशक, पर्यटक स्वागत केंद्र, दिल्ली के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है।।

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि राजस्थान राज्य पर्यटन सेवा के कैडर में, अतिरिक्त

निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पद का केवल एक ही पद है और चूंकि याचिकाकर्ता इस कैडर से संबंधित है, इसलिए उसे इस पद पर वर्ष 2016-17 में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि बाद में उसे परेशान करने के लिए संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 18.11.2020 द्वारा एपीओ के अंतर्गत तैनात किया गया। एपीओ का यह आदेश मनमाना, कानून के खिलाफ और दुर्भावनापूर्ण था, इसलिए याचिकाकर्ता को एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 14336/2020 दायर करके एपीओ के दिनांक 18.11.2020 के आदेश को चुनौती देनी पड़ी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.12.2020,के तहत एपीओ आदेश पर रोक लगा दी और प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को पद पर अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दें। याचिकाकर्ता का कहना है कि तदनुसार, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पद पर अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने और जारी रखने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि स्थगन आदेश दिनांक 16.12.2020 के संचालन के दौरान, इसे रद्द करने और याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने दिनांक 29.9.2021 को आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रत्यर्थी ने उन्हें अतिरिक्त निदेशक, पर्यटक स्वागत केंद्र, दिल्ली के उनके गैर-कैडर पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो आरएएस कैडर (अस्थायी) का एक पद है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी सहमति के बिना याचिकाकर्ता का उनके कैडर पद से बाहर स्थानांतरण मनमाना होने के साथ-साथ अवैध भी है, यदि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटक स्वागत केंद्र, दिल्ली के पद पर पर्यटन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया जाना था, तो प्रत्यर्थी किसी वरिष्ठ अधिकारी की सहमति लेकर उसे प्रतिनियुक्ति पर भेज सकता था क्योंकि उक्त पद आरएएस कैडर में आता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए, न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 21.1.2022 और आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.2021 और याचिकाकर्ता के दिनांक 30.9.2021 कार्यमुक्ति आदेश को भी रद्द कर दिया जाए और अपास्त किया जाए। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया है:

(i) प्रसार भारती बनाम अमरजीत सिंह [एआईआर 2007 एससी1269]

(ii) पंजाब राज्य बनाम इंदर सिंह [(1997) 8 एससीसी 372]

3. प्रत्यर्थीगण ने 8.2.2022 को रिट याचिका का उत्तर दाखिल किया है। उत्तर के पैरा 6 में कहा गया है कि पर्यटन विभाग में आरएएस कैडर के चार स्वीकृत पद हैं, जिनमें से दो पद नियमित कैडर पोस्ट (एक हायर सुपर टाइम और एक सुपर टाइम स्केल) के हैं और अन्य अस्थायी पद हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि आरएएस कैडर के दो अस्थायी पदों में से, एक अस्थायी पद अतिरिक्त निदेशक (दक्षिण), पर्यटन सूचना केंद्र, चेन्नई के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसके बाद, दिनांक 17.7.2015 के आदेश द्वारा चेन्नई में उक्त पद को पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली का पद आरएएस कैडर का पद था और कार्मिक विभाग आरएएस कैडर का कैडर नियंत्रित करता है, इसलिए, याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने से पहले, जो राजस्थान पर्यटन सेवा कैडर से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी है, अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन स्वागत केंद्र, दिल्ली के पद पर, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की मंजूरी मांगी गई थी और जब कार्मिक विभाग ने दिनांक 23.9.2021 के आदेश के माध्यम से अपनी मंजूरी दे दी और अपनी अनापत्ति से अवगत कराया तब याचिकाकर्ता को दिनांक 29.9.2021 के आदेश द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, आरएएस कैडर के रिक्त पद पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और ट्रिब्यूनल के आदेश और स्थानांतरण आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उत्तर के साथ, प्रत्यर्थीगण ने डीओपी के दिनांक 24.1.2013 के आदेश (अनुलग्नक-आर/2) को रिकॉर्ड पर रखा है, जिसमें आरएएस कैडर के प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या दिखाई गई है, जिसमें सुपर टाइम स्केल में, क्रम संख्या 83 पर, अतिरिक्त का पद है। निदेशक (दक्षिण), पर्यटन सूचना केंद्र, चेन्नई को आरएएस संवर्ग के अस्थायी पद के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले कार्मिक विभाग की मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की नोट-शीट (अनुलग्नक-आर/3) भी रिकॉर्ड में रखी है। नोट-शीट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थीगण और डीओपी की स्वीकारोक्ति का संकेत मिलता है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली का पद आरएएस कैडर का अस्थायी पद है।

4. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 21.3.2022 के आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण से इस आशय का अतिरिक्त शपत-पत्र मांगा कि क्या अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन स्वागत केंद्र, दिल्ली का पद आरएएस कैडर या पर्यटन कैडर का है। उत्तर में,

प्रत्यर्थीगण की ओर से दिनांक 28.3.2022 को एक अतिरिक्त शपत-पत्र उपेन्द्र सिंह शेखावत, तत्कालीन उप निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा दायर किया गया है। अतिरिक्त शपथ-पत्र में, यह कहा गया है कि सहायक निदेशक का एक पद पर्यटन सूचना केंद्र, चेन्नई में मौजूद था और इस पद को सुपर टाइम स्केल में अतिरिक्त निदेशक (दक्षिण) पर्यटन सूचना केंद्र, चेन्नई में अपग्रेड किया गया था जिसे अस्थायी रूप से आरएएस कैडर से भरा जाना था। इसके बाद, दिनांक 17.7.2015 (अनुलग्नक-एए/5) के आदेश के तहत उक्त पद को नई दिल्ली स्थित पर्यटन रिसेप्शन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद श्रीमती गुरजीत कौर, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को आदेश दिनांक 17.7.2015 (अनुलग्नक-एए/6) द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। हालाँकि, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था और अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन स्वागत केंद्र, दिल्ली का पद 7.10.2020 से खाली था। यह कहा गया है कि इस पद की भूमिका और जिम्मेदारियों के महत्व को देखते हुए, पर्यटन विभाग ने कार्मिक विभाग से अनुमोदन के बाद याचिकाकर्ता, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, को उस पद पर स्थानांतरित कर दिया। कार्मिक विभाग का एक यू.ओ. नोट दिनांक 1.9.2021 (अनुलग्नक-एए/7) अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है और इस तरह के नोटिंग के आधार पर, यह कहा गया है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली का पद आरएएस कैडर का पद नहीं है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त शपथ-पत्र दिनांक 28.3.2022 में यू-टर्न ले लिया है और डीओपी दिनांक 1.9.2021 (अनुलग्नक-एए/7) की नोटिंग के आधार पर कहा गया है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर का पद, दिल्ली आरएएस कैडर का पद नहीं है, जबकि 8.2.2022 को दायर रिट याचिका के उत्तर में, पैरा 6 में, प्रत्यर्थीगण ने स्वीकार किया है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली का पद आरएएस कैडर का पद है। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता, जो पर्यटन विभाग के कैडर में है, के स्थानांतरण से पहले कार्मिक विभाग की मंजूरी मांगी गई थी और डीओपी ने दिनांक 23.9.2021 की नोटिंग के माध्यम से अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर दिल्ली, के पद को आरएएस कैडर पोस्ट (अस्थायी) के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी अनापत्ति दी थी।

6. सुना गया और विचार किया गया।

7. रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, का अवलोकन

करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका के उत्तर में, प्रत्यर्थीगण का यह मामला स्वीकार किया गया है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली का पद आरएएस कैडर का पद है जिसका कैडर नमियंत्रण प्राधिकारी कार्मिक विभाग है और चूंकि याचिकाकर्ता राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली के पद पर स्थानांतरित करने के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मांगी गई थी। अनुमोदन के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, प्रत्यर्थीगण ने रिकॉर्ड नोट-शीट (अनुलग्नक-आर/3) पर रखा है। नोट-शीट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली के पद को आरएएस कैडर (अस्थायी) के रूप में माना गया था और डीओपी ने भी दिनांक 23.9.2021 की अपनी नोटिंग में उक्त पद को उसी कैडर में स्वीकार किया था। पर्यटन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को उक्त पद पर स्थानांतरित करने पर याचिकाकर्ता की आपत्ति, जो निर्विवाद रूप से राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग का है, उसका बाहरी संवर्ग जो कि आरएएस संवर्ग है, में स्थानांतरण किया जाना कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में विधिक स्थिति सुस्थापित है जैसाकि **प्रसार भारती (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रासंगिक पैरा क्रमांक 13 निम्नानुसार है:

> “13. 'स्थानांतरण' और 'प्रतिनियुक्ति' के बीच अंतर है। 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ कैडर के बाहर या मूल विभाग के बाहर की सेवा है जिसमें एक कर्मचारी सेवा कर रहा है। हालाँकि, 'स्थानांतरण' एक ही कैडर और एक ही विभाग में समकक्ष पद तक सीमित है। जबकि प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी घटना होगी, स्थानांतरण विपरीत होने के कारण विपरीत संकेत प्रदर्शित करने चाहिए।

8. प्रत्यर्थीगण का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, बल्कि दिनांक 29.9.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उसकी सहमति के बिना उसे कैडर के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए, स्थानांतरण आदेश कानून की नजर में धारणीय नहीं है।

9. जहां तक अतिरिक्त शपत-पत्र दिनांक 28.3.2022 का प्रश्न है, यह प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री उपेन्द्र सिंह शेखावत, तत्कालीन उप निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली का पद आरएएस नहीं है। कैडर पद, प्रथम दृष्टया, विश्वास करने लायक नहीं है क्योंकि यह

अतिरिक्त शपत-पत्र रिट याचिका (पैरा संख्या 6) के उत्तर में प्रत्यर्थीगण के मूल तर्क के विपरीत है और साथ ही उत्तर के साथ संलग्नक-आर/2 और आर/3 के रूप में संलग्न दस्तावेजों के विपरीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि शपथ-पत्र में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 1.9.2021 की नोटिंग (अनुलग्नक-एए/7) में दी गई जानकारी के आधार पर ऐसा बयान दिया गया है, जबकि दिनांक 1.9.2021 की नोटिंग में केवल यह है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन स्वागत केंद्र, दिल्ली का पद आरएएस संवर्ग में सृजित पद नहीं है। यहां यह भी देखा जा सकता है कि कार्मिक विभाग ने अपनी नोटिंग दिनांक 23.9.2021 (अनुलग्नक-आर/3) में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन स्वागत केंद्र, दिल्ली का पद आरएएस कैडर का अस्थायी पद है। यहां यह देखा जा सकता है कि अनुलग्नक-आर/2 के अनुसार, प्रत्यर्थीगण का यह स्वीकृत मामला है कि अतिरिक्त निदेशक (दक्षिण), पर्यटन सूचना केंद्र, चेन्नई का पद आरएएस कैडर (अस्थायी) के पद में शामिल है और बाद में इस पर दिनांक 17.7.2015 के आदेश (अनुलग्नक-एए/5) द्वारा पद को पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रत्यर्थीगण ने आरएएस कैडर (अस्थायी) के उक्त पद को पर्यटन विभाग के कैडर में पुनः स्थानांतरित करने के संबंध में अतिरिक्त शपथ-पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है और न ही रिकॉर्ड पर कोई आदेश दिया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भले ही यह पद आरएएस कैडर का सृजित पद नहीं है, लेकिन फिर भी यह आरएएस कैडर का अस्थायी पद है, जहां याचिकाकर्ता को स्थानांतरित कर दिया गया है।

10. यह विवाद नहीं है कि पहले जब याचिकाकर्ता अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तो उसे दिनांक 18.11.2020 के आदेश के तहत एपीओ के तहत रखा गया था और जबकि उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14336/2020 में दिनांक 16.12.2020 के आदेश द्वारा एपीओ पर रोक लगा दी गई थी, स्थगन आदेश के संचालन के दौरान, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.2021 पारित किया गया है। इसके बाद, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 18.10.2021 के आदेश (अनुलग्नक-आर/1) के माध्यम से एपीओ के 10.10.2021 के आदेश से को वापस ले लिया है, वह भी एपीओ की तारीख अर्थात 18.11.2020 से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी किसी तरह याचिकाकर्ता को अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के कैडर पद से बेदखल करना चाहते हैं, जो कि उनके कैडर का केवल एक और एकल पद है। इसके

अलावा, याचिकाकर्ता को गैर-कैडर पद पर स्थानांतरित करते समय प्रत्यर्थीगण की मंशा प्रामाणिक और निष्पक्ष नहीं लगती है।

11. जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त शपत-पत्र दायर करके यह दिखाने के लिए अपना रुख बदलने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरित पद आरएएस कैडर का नहीं है, लेकिन अतिरिक्त शपथ-पत्र में प्रत्यर्थीगण का ऐसा नया रुख है। रिट याचिका के उत्तर में लिए गए प्रत्यर्थीगण के बचाव के विपरीत, साथ ही अनुलग्नक-आर/2 और आर/3 के रूप में उत्तर के साथ रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि चूंकि स्थानांतरण आदेश डीओपी के अनुमोदन के बाद पारित किया गया है, इसलिए यह वैध है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थीगण का आचरण, प्रथम दृष्टया, दुर्भावना से दूषित प्रतीत होता है और इस प्रकार, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के कैडर से बाहर स्थानांतरण के लिए कोई भी उचित कारण बताने में विफल रहे हैं। यदि प्रत्यर्थीगण को अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन रिसेप्शन सेंटर, दिल्ली के पद पर पर्यटन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की आवश्यकता थी/हैं, तो उन्हें यह पद महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लगता है, वे कानून के अनुसार किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए प्रत्यर्थीगण ने कानून के अनुसार काम नहीं किया है और इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश मनमाना और अवैध है और इसे कानून के मापदंडों के भीतर ईमानदारी से पारित नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए मामले में उत्पन्न होने वाले जटिल मुद्दे पर ध्यान न देकर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की, इसलिए ट्रिब्यूनल का आदेश दिनांक 21.1.2022, विवादित स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.2021 और साथ ही दिनांक 30.9.2021 का लागू किया गया राहत आदेश भी कानून की नजर में धारणीय नहीं हैं। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता द्वारा टाले गए इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के पद पर दिनांक 29.9.2021 को आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पारित करने के बाद, याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित/पदस्थापित नहीं किया गया है।

13. परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 22.1.2022 और

स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.2021 तथा याचिकाकर्ता के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.9.2021 को भी रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है। परिणामतः, याचिकाकर्ता की अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के पद पर नियुक्ति फिर से बहाल की जाए।

14. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

15. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

NITIN/39

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।